بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

Office of The sadr Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار اللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः सैय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक **23.09.16** बैतुल फ़तूह लंदन।

माफ़ करने की मैराज (उच्चतम स्तर) तो हमें आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में नज़र आती है।

आपकी क्षमाशलीता के असंख्य उदाहरण हैं, आपकी क्षमाशीलता ऐसे उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई है कि मनुष्य चकित रह जाता है।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के पश्चात हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अवसर पर वास्तविक मोमिन की निशानी बताते हुए फ़रमाया कि वास्तविक मोमिन वही है जो अपने लिए चाहता है वही दूसरे के लिए चाहता है। यह एक ऐसा मार्ग दर्शक नियम है जो दुनया में प्रत्येक स्तर पर , घर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों तक प्यार मुहब्बत तथा सन्धि का आधार बनता है। झगड़ों को समाप्त करता है, दिलों में नर्मी पैदा करता है। एक दूसरे के अधिकार देने की ओर ध्यान दिलाता है। मैंने कई अवसरों पर दूसरों के सामने यह बात रक्खी तो बड़े प्रभावित होते हैं परन्तु हमारा उद्देश्य केवल अच्छी बात बताकर लोगों को प्रभावित करना नहीं है अपितु अपने कर्मों के द्वारा इस बात की तथा प्रत्येक इस्लामी आदेश की सुन्दरता प्रमाणित करना भी है। हमसे दूसरे लोग सवाल कर सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है लेकिन बताओ तुममें से कितने लोग इसके अनुसार काम करते हैं, जब समय आए तो स्वार्थ नहीं दिखाते। बात की सुन्दरता तो उसी समय प्रकट होती है जब बात कहने वाला स्वयं भी इसके अनुसार कर्म कर रहा हो। लोगों को हमारी विशेषता तो तभी पता चलेगी जब हमारी कथनी और करनी एक जैसी होगी। लोग केवल बात सुनने तक नहीं रहते बल्कि हमें देखते भी हैं।

अतः जब हम धर्म के संदर्भ में उच्च नैतिकता की बात करते हैं तो ग़ैर हमें देखते भी हैं कि इनका अपना कर्म क्या है। इस बात से तो कोई इंकार नहीं कर सकता जो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को उच्च नैतिकता स्थापित करने के लिए बताई है कि तुम्हारे वास्तविक मोमिन होने का तब पता चलेगा जब तुम्हारी नैतिकता भी उच्च स्तरीय होगी। तुम्हारे एक दूसरे के प्रति भावनाओं के स्तर बुलन्द होंगे और वे स्तर क्या हैं कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसन्द करो, वही दूसरे के लिए पसन्द करो। यह नहीं कि अपने अधिकार लेने के लिए न्याय न्याय की आवाज़ें बुलन्द करते रहो और दूसरे के अधिकार देने के समय नकारात्मक भावना दिखाओ।

अतः हम जिस प्रकार अपने अधिकार लेने के लिए व्याकुल होते हैं, दूसरों का अधिकार देने के लिए भी वही स्तर क़ायम करने चाहिएँ। हमसे कोई ग़लती हो जाए तो हम जब अपने लिए यह चाहते हैं कि हमारा दोष माफ़ हो तथा हमसे कोई पूछ ताछ न हो, हमें दंड न मिले तो फिर जब कोई दूसरा ग़लती करता है जिसके द्वारा हम प्रभावित हो रहे हों तो फिर हमें उसके लिए भी, यदि वह कोई दोषी प्रकृति का नहीं है, बार बार वह ग़लतियाँ नहीं दोहरा रहा तो यही रीति अपनानी चाहिए कि क्षमा कर दें। हाँ यदि किसी दोष के कारण जमाअत अथवा राष्ट्रीय हित को हानि हो रही हो तो फिर यह छोटा दोष नहीं रहता और उसका दोष फिर राष्ट्र का दोष बन जाता है तथा फिर ऐसे लोगों का निर्णय भी संस्थाएँ करती हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं करता।

अतः मैं यह बात कर रहा हूँ कि समाज के परस्पर दैनिक मामले जिनको हम अपना अधिकार समझते हैं तथा दूसरे को भी अधिकार देते हैं या नहीं, अथवा देने की हमारी सोच है या नहीं और इसमें पहला आधार हमारा घर है, दोस्त इत्यादि हैं, बहिन

भाई हैं, अन्य रिश्तेदार हैं। जब छोटे स्तर पर अपनी छोटी सी परिधि में यह सोच होगी तो फिर समाज में विस्तृत रूप में भी यही सोच फैलेगी। स्वार्थों का विनाश होगा, हक़ देने की बातें अधिक होंगी, क्षमा करने की भावनाएँ बढ़ेंगी, दंड देने अथवा दिलवाने की भावनाओं में कमी आएगी और अल्लाह तआला ने क़ुरआन-ए-करीम में भी बाहरी अधिकार तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखने के साथ साथ क्षमा करने की भावना को भी ग्रहण करने की ओर ध्यानाकर्षित किया है। अतः अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-करीम में फ़रमाता है-

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ अर्थात- वे लोग जो समृद्धि में भी ख़र्च करते हैं और तंगी में भी और क्रोध को दबा जाने वाले हैं तथा लोगों को क्षमा करने वाले हैं और अल्लाह एहसान करने वालों से प्रेम करता है।

इसमें पहले तो अल्लाह तआला ने बन्दों के हक़ की अदायगी के लिए ख़र्च करने की ओर ध्यान दिलाया है, जिसकी आवश्यकता हो। फिर अल्लाह तआला फ़रमाता है कि एहसान करने वालों की यह भी निशानी है कि वे अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण रखने वाले हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है कि हर प्रकार के क्रोध तथा बदले की भावनाओं को दिल से निकाल दिया जाए, यह बहुत बड़ी बात है। जब क्रोध भी न आए तथा बदला लेने की भावना भी दिल से निकल जाए और न केवल यह कि क्रोध की भावनाओं को दिल से निकाल दिया जाए बल्कि ग़लती करने वाले पर कुछ एहसान भी कर दिया जाए, यह बहुत बड़ी बात है और अल्लाह तआला चाहता है कि मोमिन में ये बातें पैदा हों। रिवायतों में हज़रत हसन रज़ी. की एक घटना आती है कि आपके एक दास ने कोई ग़लती कर दी, उसपर आपको बड़ा क्रोध आया और दंड देना चाहते ही थे कि उस दास ने आयत का यह अंश पढ़ा وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ अर्थात- जो क्रोध को पी जाते हैं। इस पर हज़रत हसन रज़ी. ने दंड देने के लिए जो हाथ उठाया था उसे नीचे गिरा लिया। इस पर उस ग़ुलाम ने कहा وَالْعَافِيْنَ अर्थात- ऐसे लोग, लोगों को माफ़ करने वाले भी होते हैं। इस पर हज़रत हसन रज़ी. ने अल्लाह तआला के आदेशानुसार कहा कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। इस पर ग़ुलाम ने कहा कि يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ अर्थात- अल्लाह तआला एहसान करने वालों से मुहब्बत करता है। इस पर उन्होंने उस दास से कहा कि जाओ मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ।

अतः अल्लाह तआला के स्नेह की इच्छा रखने वालों के ऐसे व्यवहार होते हैं कि न केवल दोषी के दोष को क्षमा करें अपितु उस पर उपकार भी कर दें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस आयत के संदर्भ में एक स्थान पर फ़रमाते हैं-

याद रक्खो, जो व्यक्ति कठोरता दिखाता है तथा क्रोधित हो जाता है उसकी ज़बान से दिव्य ज्ञान तथा विवेक की बातें कदापि नहीं निकल सकतीं। वह दिल विवेक की बातों से वंचित किया जाता है जो अपने विरोधी के सामने शीघ्र क्रोध में आकर आपे से बाहर हो जाता है। अभद्र भाषी तथा बेलगाम ऊँट, सूक्ष्म ज्ञान के स्रोत से भाग्यहीन और वंचित किए जाते हैं। क्रोध एंव विवेक दोनों एकत्र नहीं हो सकते। जो क्रोध एंव आवेश में होता है उसकी बुद्धि मोटी तथा समझदारी शिथिल होती है। उसको कभी किसी क्षेत्र में ग़ल्बः तथा सहायता नहीं दी जाती। क्रोध आधा जुनून है जब यह चरम सीमा तक पहुंचता है तो पूरा जुनून बन सकता है। याद रक्खो कि बुद्धि एंव जोश में भयानक शत्रुता है। जब जोश तथा क्रोध आता है तो बुद्धि स्थापित नहीं रह सकती परन्तु जो संतोष करता है तथा सहनशीलता का नमूना दिखाता है उसको एक नूर दिया जाता है जिसके द्वारा उसकी बुद्धि एंव चिंतन की शक्तियों में एक नया प्रकाश पैदा हो जाता है और फिर नूर से नूर पैदा होता है। क्रोध एंव जोश की अवस्था में क्यूँकि मन तथा मस्तिष्क अंधकारमय हो जाते हैं इस कारण से फिर अंधकार से अंधकार पैदा होता है।

कई बार कठोर बनना पड़ता है, परन्तु क्रोध में आकर, आवेश में आकर कठोर बनना उचित नहीं। इस्लाम में दंड का प्रावधान है परन्तु इसके लिए नियम संहिता है। आवेश में आकर दंड देना, दूरदर्शिता तथा न्याय से दूर ले जाता है।

अल्लाह तआला ने हमें क्रोध दबाने के बाद जो माफ़ करने को कहा है तो बिना किसी औचत्य के नहीं कहा कि क्षमा करते चले जाओ बल्कि क्षमा तथा दंड की हिकमत बता कर निर्णय लेने को कहा है। अतः अल्लाह तआला फ़रमाता है कि-

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ अर्थात- बदी का बदला, की जाने वाली बदी के बराबर होता है परन्तु जो कोई क्षमा कर दे, परन्तु शर्त यह है कि वह सुधार करना चाहता हो तो उसका प्रतिफल अल्लाह के पास है। निःसन्देह वह अत्याचारियों को पसन्द नहीं करता।

अतः मूल बात, दोषी को उसके दोष का आभास कराकर सुधार करना है, न कि बदला लेना, मुक़दमे बाज़ियों में फंसाना, अपना माल भी नष्ट करना तथा दूसरे का माल भी नष्ट कराना। अपना समय भी नष्ट करना तथा दूसरे का भी नष्ट कराना और यदि जमाअत की संस्थाओं में मामला है तो उन पर कुधारणा करना। यदि क्षमा करने से सुधार हो जाता है तो क्षमा करना उत्तम है। यदि दंड देना सुधार के लिए आवश्यक है तो न्याय की आवश्यकता यही है कि दंड दिया जाए और फिर निःसन्देह सम्बंधित संस्थाओं तक मामला ले जाया जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस विवेक शील आदेश के विषय में कई स्थानों पर लिक्खा है। एक स्थान पर आप फ़रमाते हैं-

न्याय प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक दोष का दंड उतना ही है, परन्तु यदि कोई अपने दोषी को क्षमा कर दे परन्तु शर्त यह है कि क्षमा करने से उस दोषी व्यक्ति का सुधार हो, न कि क्षमा शीलता के कारण और अधिक क्रूर हो तथा निर्लज्ज हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति ख़ुदा तआला से बड़ा प्रतिफल पाएगा।

अतः क्षमा शीलता एंव अनदेखा करना उस समय है जब दोषी के विषय में अनुमान हो कि वह आगे से यह काम नहीं करेगा। कुछ लोग दोषी प्रकृति के होते हैं तथा हर बार दोष करके क्षमा मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए दंड अनिवार्य होता है तथा दंड फिर इस प्रकार का हो जिसके द्वारा उसके सुधार की संभावना हो।

अतः यह है इस्लाम में दंड एंव क्षमा की हिकमत, कि सुधार के लिए हो। न कि अल्लाह तआला यह चाहता है कि आँखें बन्द करके प्रत्येक को माफ़ करते चले जाओ, न यह कि क्रोधित होकर सज़ाएँ देने की ओर ही झुकाव हो। क्षमा करते चले जाने से भी समाज में बिगाड़ उत्पन्न होता है तथा दंड देते चले जाने से भी द्वेष और दुशमनियाँ बढ़ती हैं तथा समाज में नफ़रतों की दीवारें खड़ी होती हैं और अशांति फैलती चली जाती है।

इस प्रकार यह तो इस्लाम का एक मूल सिद्धांत है। अब हम देखते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सीमा तक माफ़ फ़रमाया करते थे। क्षमाशीलता की मैराज तो हमें आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में दिखाई देती है कि जिन लोगों की सज़ा के निर्णय भी हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी क्षमा कर दिया। किसी दूसरे के दोषी को क्षमा नहीं किया बल्कि अपने दोषियों को, अपनी संतान के हत्यारों को क्षमा कर दिया क्यूँकि उनका सुधार हो गया था। रिवायतों में एक घटना मिलती है कि एक व्यक्ति हब्बार बिन असवद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुपुत्री हज़रत ज़ैनब पर मक्का से मदीना हिजरत करते समय भाले से हत्या करने के लिए आक्रमण किया। आप उस समय गर्भावस्था में थीं। आक्रमण के कारण उनका भ्रूण भी नष्ट हो गया, घायल भी हुईं, चोट लगी तथा इस चोट के कारण आपका निधन भी हो गया। इस अत्याचार के कारण हब्बार के लिए हत्या का निर्णय हुआ। मक्का विजय होने के अवसर पर यह व्यक्ति भाग कर कहीं चला गया परन्तु बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना पधारे तो वह हब्बार नामक व्यक्ति, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ तथा निवेदन किया कि दया की भीख मांगता हूँ, पहले मैं आपसे डर कर भाग गया था परन्तु मुझे आपकी क्षमाशीलता एंव दया वापस ले आई है। ऐ ख़ुदा के नबी! हम मूर्ख थे, बुत पूजक थे, ख़ुदा ने हमें आपके द्वारा मार्ग दर्शित किया तथा विनाश से बचाया, मैं अपने अत्याचारों को स्वीकार करता हूँ। अतः मेरी मूर्खता को अनदेखा

करते हुए मुझे माफ़ फ़रमाएँ। अतः आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुपुत्री के उस हत्यारे को क्षमा कर दिया तथा फ़रमाया कि जा ऐ हब्बार! मैंने तुझे माफ़ किया और फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआला का यह एहसान है कि उसने तुम्हें इस्लाम क़बूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अतः जब आपने देखा कि सुधार हो गया है तो अपनी बेटी के हत्यारे को भी माफ़ फ़रमा दिया।

हज़रत आयशा रज़ीअल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने साथ होने वाली बुराई का बदला नहीं लिया। तभी तो आपने खाने में विष मिलाकर खिलाने वाली यहूदी महिला को भी माफ़ फ़रमा दिया था। फिर हिन्दः नामक महिला पर आपकी क्षमाशीलता का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसकी काया ही पलट गई, बिल्कुल। बड़ी ही श्रद्धालु हो गई। उसी दिन शाम को उसने आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और दो बकरे भून कर भिजवाए तथा साथ ही यह भी कह दिया कि आजकल जानवर कम हैं इस लिए यह तुच्छ सी भेंट पेश है। इस पर आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फ़रमाई कि ऐ अल्लाह! हिन्द के रेवड़ों में अत्यधिक बरकत डाल दे। अतः कहते हैं कि इस दुआ के परिणाम में ऐसी बरकत पड़ी कि उसके रेवड़ संभाले नहीं जाते थे।

अब्दुल्लाह बिन अबी बिन सलूल की समस्त कृतघ्नताओं को क्षमा कर दिया तथा उसका जनाज़ा भी पढ़ा। कअब बिन ज़हीर एक विख्यात कवि था। कुछ कारणों से उसके लिए भी दंड का आदेश हो चुका था। मक्का विजय के बाद उसके भाई ने उसे लिक्खा कि अब आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांग लो। अतः वह मदीना आकर अपने एक जानकार के पास ठहर गए तथा फ़ज्र की नमाज़ मस्जिद-ए-नबवी में आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा की। नमाज़ के बाद आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में निवेदन किया कि या रसूलल्लाह! कअब बिन ज़हीर प्रायश्चित के लिए आया है तथा क्षमा की प्रार्थना करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चेहरे से उसे पहचानते नहीं थे इस लिए उससे कहा कि यदि आज्ञा हो तो उसे प्रस्तुत किया जाए। आपने फ़रमाया कि हाँ, आ जाए। इस पर उसने कहा कि या रसूलल्लाह! मैं ही कअब बिन ज़हीर हूँ। इस पर एक अन्सार उसका वद्ध करने हेतु उठे तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यह क्षमा याचिका लेकर आया है इसे छोड़ दो। इसके बाद उसने आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में एक कसीदः (काव्य पंक्तियाँ) पेश किया जिस पर आपने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी चादर भी उसे उढ़ा दी। अतः यह था आपकी क्षमाशीलता का स्तर कि न केवल माफ़ फ़रमाते थे अपितु पुरस्कार देकर, दुआएँ देकर विदा करते थे। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्षमाशीलता के असंख्य उदाहरण हैं, ऐसे उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई क्षमाशीलता है कि मनुष्य चकित रह जाता है।

एक बार एक व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ तथा निवेदन किया कि या रसूलल्लाह! मेरा एक दास है जो अनुचित कार्य करता है, क्या मैं उसे शारीरिक दंड दे सकता हूँ? आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम उसे प्रतिदिन सत्तर बार माफ़ कर दिया करो, अर्थात अत्यधिक क्षमा किया करो।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं- जमाअत को तय्यार करने का उद्देश्य यही है कि ज़बान, कान, आँख तथा प्रत्येक अंग में तक़्वा प्रवेश कर जावे। तक़्वा का नूर उसके भीतर और बाहर हो। सदाचार का उच्चतम नमूना हो तथा अकारण ही क्रोध एंव प्रकोप इत्यादि न हो। फ़रमाया कि मैंने देखा है कि जमाअत के अधिकांश लोगों में क्रोध का दोष अब तक विद्यमान है। छोटी छोटी बातों पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं तथा आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं। ऐसे लोगों का जमाअत में कुछ योगदान नहीं होता और मैं समझता हूँ कि इसमें क्या कठिनाई है कि यदि कोई गाली दे तो दूसरा चुप रहे तथा उसे उत्तर न दे। प्रत्येक जमाअत का सुधार सर्वप्रथम नैतिकता से होता है, चाहिए कि आरम्भ में संयम के द्वारा उन्नति करे तथा सर्वोत्तम तरीक़ा यह है कि यदि कोई अभद्र भाषा बोले तो उसके लिए दिल के दर्द के साथ दुआ करे। अल्लाह तआला हमें यह सामर्थ्य प्रदान करे कि हम इन स्तरों को प्राप्त करने वाले हों।